प्रेषक,

कुमार हर्ष,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0 लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 29 सितम्बर, 2023

विषय: राजकीय अगुस्ता हेलीकाप्टर ए109एस वी0टी0-यू0पी0एल0 में लगे दोनों इंजन मॉडल नं0-PW207C क्र0सं0 क्रमश: PCE- BH0411 तथा PCE-BH0410 को एक्सचेंज के आधार पर दो ओवरहाल्ड इंजन से ओवरहाल एक्सचेंज के आधार पर क्रय किए जाने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-147/ना0उ0नि0/इंजी/यू0पी0एल0/04-आई/2023 दिनांक 30 अगस्त, 2023 एवं शासनादेश संख्या-76/2023/929/छप्पन-2023-43/2015 दिनांक 18 जुलाई, 2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 76/2023/929/छप्पन-2023-43/2015 दिनांक 18 जुलाई, 2023 के द्वारा राजकीय हेलीकाप्टर अगुस्ता ए109 एस0 वी0टी0-यू0पी0एल0 में लगे दोनों इंजन मॉडल नं0- PW207C क्र0सं0 क्रमश: PCE- BH0411 तथा PCE-BH0410 को एक्सचेंज के आधार पर दो ओवरहाल्ड इंजन से ओवरहाल एक्सचेंज के आधार पर क्रय कराये जाने की सैद्धान्तिक अनुमति एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इस सम्बन्ध में M/s Pratt & Whitney Canada (SEA), Pte. Ltd., Singapore से प्राप्त ई-मेल दिनांक 13.06.2023 में Exchange Agreement No. 0AP-009081/82 दिनांक 18.07.2023 के द्वारा अवगत कराया गया है कि राजकीय हेलीकाप्टर अगुस्ता A1095, VT-UPL में लगे दोनों इंजन मॉडल नं0 PW207C क्रम सं० PCE-BH0411 तथा PCE-BH0410 को एक्सचेंज के आधार पर दो ओवरहाल्ड इंजन से ओवरहाल एक्सचेंज के आधार पर क्रय करने पर प्रति इंजन यू0एस0 डालर 677000.00 की दर से कुल यू0एस0 डालर 1354000.00 का व्यय होगा। साथ ही यह भी अवगत कराया गया है कि M/s Pratt & Whitney Canada (SEA), Pte. Ltd., Singapore से उक्त दोनों इंजन को क्रय करने पर होने वाले व्यय यू0एस0 डालर 13,54,000.00 जो कि भारतीय मुद्रा में रू0 84/- प्रति यू0एस0 डालर की विनिमय दर से रू0 11,37,36,000/- एवं उक्त धनराशि पर 10 प्रतिशत मार्जिन मनी की धनराशि रू0 1,13,73,600/- अर्थात् कुल रू0 12,51,09,600/- (रूपये बारह करोड़ इक्यावन लाख नौ हजार छः सौ मात्र) एवं निदेशालय में सम्बद्ध कस्टम हाउस एजेन्ट मेसर्स जे0बी0के0 लाजिस्टिक्स, नई दिल्ली को आयात पर होने वाले अनुषांगिक व्यय (कस्टम ड्यूटी, जी०एस०टी०, फेट चार्जेज इत्यादि) रू0 1,25,00,000/- एवं इंश्योरेन्स पर होने वाला सम्भावित व्यय रू0 1,50,000/- (आयात के समय रू0 1,50,000.00 के सापेक्ष Insurance पर

2/....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

होने वाले वास्तविक की धनराशि ही आहरित की जायेगी) अर्थात् कुल रू0 13,77,59,600/- (रूपये तेरह करोड़ सतहत्तर लाख उनसठ हजार छ: सौ मात्र) का कुल व्यय निहित है, जिसकी प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा अग्रिम आहरण एवं भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जानी है।

3- अत: श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 राजकीय अगुस्ता हेलीकाप्टर ए109एस वी0टी0-यू0पी0एल0 में लगे दोनों इंजन मॉडल नं0- PW207C क्र0सं0 क्रमश: PCE- BH0411 तथा PCE-BH0410 को एक्सचेंज के आधार पर दो ओवरहाल्ड इंजन से ओवरहाल एक्सचेंज के आधार पर M/s Pratt & Whitney Canada (SEA), Pte. Ltd., Singapore से क्रय करने पर होने वाले व्यय यू0एस0 डालर 13,54,000.00 जो कि भारतीय मुद्रा में रू0 84/- प्रति यू0एस0 डालर की विनिमय दर से रू0 11,37,36,000/- एवं उक्त धनराशि पर 10 प्रतिशत मार्जिन मनी की धनराशि रू0 1,13,73,600/- अर्थात् कुल रू0 12,51,09,600/- (रूपये बारह करोड़ इक्यावन लाख नौ हजार छः सौ मात्र) एवं निदेशालय में सम्बद्ध कस्टम हाउस एजेन्ट मेसर्स जे0बी0के0 लाजिस्टिक्स, नई दिल्ली को आयात पर होने वाले अनुषांगिक व्यय (कस्टम ड्यूटी, जी०एस०टी०, फेट चार्जेज इत्यादि) रू0 1,25,00,000/- एवं इंश्योरेन्स पर होने वाला सम्भावित व्यय रू0 1,50,000/- (आयात के समय रू0 1,50,000.00 के सापेक्ष Insurance पर होने वाले वास्तविक व्यय की धनराशि ही आहरित की जायेगी) अर्थात् कुल रू0 13,77,59,600/- (रूपये तेरह करोड़ सतहत्तर लाख उनसठ हजार छ: सौ मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा अग्रिम आहरण एवं व्यय की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

(1) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिये भी संबंधित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा।

(2) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्तीय वर्ष में स्वीकृत समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अवश्य कर लिया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुये महालेखाकार के पुस्तांकित आकड़ों में भी समायोजन करा दिया जाए।

(3) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।

(4) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(5) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश प्रशासकीय विभाग बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

3/....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(7) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(8) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 17 मार्च, 2023 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

4- उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-38 के अधीन पूँजीगत ''लेखा लेखाशीर्षक-5053-नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-04-हेलीकाप्टर/वायुयान की विशेष मरम्मत-42-अन्य व्यय'' के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या- ई-7-203/दस-2023-24 दिनांक 29 सितम्बर, 2023 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,
कुमार हर्ष
विशेष सचिव

संख्या: 105/2023/1300(1)/छप्पन-2023-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) उप महालेखाकार/ ई0एस0-III, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर लखनऊ-10
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
(5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कुमार हर्ष
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।